[2021] 3 एस. सी. आर. 597

ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड

वी.

एस. आर. ई. आई. उपकरण वित्त सीमा और ओ. आर. एस.

(2020 की सिविल अपील Nos.4230-4234)

1 मार्च, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 , 9 – कंपनी अधिनियम, 1956-एस. 391-393 , 446 - कम्पनी अधिनियम, 2013-ss. 230 (1) , 279 , एस को पाँचवाँ परंतुक। 434 (1) (ग)-लंबित कार्यवाही को समाप्त करना-याचिका यू / एस. 7 एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया-आयोजित की रखरखाव क्षमता: ए.

याचिका या तो यू / एस. 7 या एस. 9 , आई. बी. सी. एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो कार्यवाही को समाप्त करने से अप्रभावित है जिसे इस मामले में दायर किया जा सकता है।

एक ही कंपनी-समापन कार्यवाही के किसी भी "दमन" का निर्णय लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 याचिका जिस पर अपने गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाया जाना है-पाँचवें के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र

एस के लिए प्रावधान। 434 (1) (ग), 2013 अधिनियम, आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के निर्विवाद अधिकार क्षेत्र पर एक बार एस. के मापदंडों पर हावी नहीं हो सकता है। 7

और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों को पूरा किया गया है-अपीलार्थी की याचिका कि प्रतिवादी नं. 1 अपने आवेदन यू/में समापन कार्यवाही को दबा दिया गया एस. 7, एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. का कोई लाभ नहीं है-परिसमापन याचिका एक याचिका के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार के किसी भी बाद के प्रयास को विफल नहीं करती है। एस. 7 या एस. 9 , आई. बी. सी.-इसके अलावा, तथ्यों पर,

कुछ भी इस अर्थ में अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है

एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के पैराग्राफ 31 में इसका उल्लेख किया गया है। लिमिटेड वी. श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. के रूप में रिपोर्ट किया

1025 - अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-कंपनी अधिनियम के विषय पर चर्चा की गई।

क़ानूनों की व्याख्याः

विशेष कानून v. सामान्य कानून-चर्चा-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-कंपनी अधिनियम।

गैर-बाध्यकारी खंड-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - s.238-आयोजितः एस में गैर-अवरोधक खंड। 238 इसे और भी स्पष्ट बनाता है

कि संघर्ष के मामले में, आई. बी. सी. के प्रावधान प्रबल होंगे

कम्पनी अधिनियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 आई. बी. सी. एक विशेष कानून है जो उन कंपनियों के पुनरुद्धार से संबंधित है जो लाल रंग में हैं, जिन्हें केवल सहारा दिया जा रहा है।

यदि पुनरुत्थान के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कंपनी अधिनियम, जो कंपनियों से संबंधित एक सामान्य क़ानून है, सहित

आई. बी. सी. न केवल एक विशेष क़ानून है जो संघर्ष की स्थिति में प्रबल होना चाहिए, बल्कि धारा 238 में निहित एक गैर-बाधा खंड है, जो इसे और भी स्पष्ट करता है। कि संघर्ष के मामले में, आई. बी. सी. के प्रावधान प्रबल होंगे। [पैरा 14] [606-जी-एच]

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; इलाहाबाद बैंक बनाम। केनरा

बैंक, (2000) 4 एससीसी 406: [2000] 2 एस. सी. आर. 1102; बेकेमन्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम। न्यू कानपुर आटा मिल्स, (2008) 15 एस. सी. सी. 1: [2008] 9 एस. सी. आर. 705; मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम। बी. आई. एफ. आर. (2016) 4 एस. सी. सी. 1: [2016] 11

एस. सी. आर. 419 पर भरोसा किया।

1.2 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत एक याचिका एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो उसी कंपनी के तहत दायर की जाने वाली कार्यवाही को समाप्त करने से प्रभावित नहीं होती है। आई. बी. सी. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल जहां एक कंपनी को बंद करने में कॉर्पोरेट मृत्यु के करीब है, तो समापन कार्यवाही का कोई हस्तांतरण आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के रूप में एन. सी. एल. टी. को नहीं किया जाएगा। एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष से कम कि निगमित मृत्यु अपरिहार्य है, व्यापक सार्वजनिक हित में निगमित देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें न केवल निगमित देनदार के कर्मचारी, बल्कि उसके लेनदार और उसके सामान भी शामिल हैं।

यह देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में उत्पादन करता है। इस प्रकार, अपीलार्थी (प्रत्यर्थी संख्या 2 का एक परिचालन लेनदार) की ओर से तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। कंपनी को बंद करने के तहत) जिसने धारा 446 दी

कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279, एक बार समापन याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, समापन याचिका को आई. बी. सी. के तहत दायर धारा 7 या धारा 9 याचिका

के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार के किसी भी बाद के प्रयास को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि यह सच है कि कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 393,

1956 किसी दी गई तथ्यात्मक परिस्थिति में ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. को खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

एस. आर. ई. आई. उपकरण वित्तीय सीमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (1) निर्देशात्मक है। इस धारा से जो स्पष्ट है वह यह है कि यदि परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो आई. बी. सी. कार्यवाही में समझौता या व्यवस्था भी की जा सकती है। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कंपनी अधिनियम के तहत, यह केवल बंद करने का आदेश दिया जा सकता है, जबकि आई. बी. सी. के तहत, प्राथमिक जोर एक नए प्रबंधन के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार पर है। तथ्यों पर भी, वर्तमान मामले में, एक्शन इस्पात के पैराग्राफ 31 में उल्लिखित अर्थ में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है। [पारस 23,24] [617-डी-जी; 618-डी-एफ]

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 227: [2018] 14 एस. सी. आर. 926; डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ए. जे. एग्रोकेम (2019) 9 एस. सी. सी. 725: [2019] 12 एस. सी. आर. 830; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33; कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 943; फोर्च (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एडलवाइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड (2019) 18 एससीसी 549-निर्भर

पर।

एक्शन इस्पात एंड पावर प्रा. लिमिटेड वी. श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1025-संदर्भित

को।

1.3 एक सुरक्षित लेनदार समापन के बाहर खड़ा होता है और कार्यवाही को समाप्त करने के अपने सुरक्षा जोखिमों का एहसास कर सकता है। इंडियाबुल्स, कॉर्पोरेट देनदार का एक सुरक्षित लेनदार, अर्थात। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बंधक द्वारा अपने ऋण को लागू किया है, बंधक को बेच दिया है

परिसमापन के बाहर की संपत्ति। उपरोक्त बिक्री अस्थायी परिसमापक द्वारा दायर बॉम्बे उच्च न्यायालय में कार्यवाही का विषय है। यदि उपरोक्त बिक्री को अलग रखा जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 की जो संपत्ति बेची गई है, वह परिसमापन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी परिसमापक को वापस आ जाएगी। यदि बिक्री को बरकरार रखा जाता है, तो समान रूप से, प्रतिवादी संख्या 2 की अन्य परिसंपत्तियां हैं जो समापन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी परिसमापक के हाथों में बनी हुई हैं। इस मामले के तथ्यों पर, हालांकि उच्च न्यायालय में लंबित समापन कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय ने स्वयं, 28.11.2019 और 23.01.2020 दिनांकित आदेशों द्वारा, अनंतिम [2021] 3 एस. सी. आर. का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसमापक प्रत्यर्थी सं. के अभिलेख और परिसंपत्तियाँ सौंपने के लिए। 2 एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित धारा 7 की कार्यवाही में अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) को। यह अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि आई. आर. पी. अभी तक अस्थायी परिसमापक को उसके खर्चों के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

[पारस 25,26] [618-एफ; 620-सी-एफ]

एम. के. रंगनाथन बनाम सरकार. मद्रास का, [1955] 2 एससीआर

374 - पर भरोसा किया।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एल्मोट इंजीनियरिंग कं., (1994)

4 एस. सी. सी. 159 [1994] 3 एस. सी. आर. 766; औद्योगिक ऋण और

निवेश निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. श्रीनिवास एजेंसियां,

(1996) 4 एससीसी 165: [1996] 2 एस. सी. आर. 960; बोर्ड

न्यासी, पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। , (1998) 4 एस. सी. सी. 303: [1998] 2 एस. सी. आर. 774-संदर्भित।

1.4 धारा 7 एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो

अपने गुणों पर प्रयास किया। इसलिए, समापन कार्यवाही के किसी भी "दमन" का आई. बी. सी. में निहित प्रावधानों के आधार पर याचिका पर निर्णय लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान रूप से, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी छल का लाभ उसी कारण से उठाया गया है कि धारा 7 एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो अपने आप में स्थिर है। पाँचवें के तहत एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) का प्रावधान एन. सी. एल. टी. के निस्संदेह अधिकार क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता है।

आई. बी. सी. एक बार धारा 7 के मापदंडों और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों को पूरा कर चुका है। इस न्यायालय द्वारा 18.12.2020 पर पारित अंतरिम आदेश खाली है। [पैरा 27] [621-ए-बी]

मामला कानून संदर्भ

(2019) 18 एस. सी. सी. 549

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2000] 2 एससीआर 1102

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2008] 9 एससीआर 705

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2016] 11 एससीआर 419

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2018] 14 एससीआर 926

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2019] 12 एससीआर 830

उस पर भरोसा करें

पैरा 20 ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. एस. आर. ई. आई. उपकरण वित्तीय सीमा

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 20

[1955] 2 एससीआर 374

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 25

[1994] 3 एससीआर 766

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 25

[1996] 2 एससीआर 960

पैर

ा 25

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 एससीआर 774

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 4230

4234 2020 से।

07.02.2020 और 21.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 1434 और आई. ए. संख्या में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

811/2020 , 917/2020 , 962/2020 और 2020 का 1587।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरविंद

कुमार गुप्ता, अमित भंडारी, सुश्री हिना जॉर्ज, सुश्री शिवानी शर्मा, रवींद्र दयानंद चिंगाले, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गोपाल जैन, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिजीत सिन्हा, अरिजीत

मजूमदार, शंभो नंदी, सुश्री आकांक्षा कौशिक, मनन शिशोदिया, स्नेहाशीष मुखर्जी, अनिरुद्ध संगनेरिया, संतोष कुमार रे, सुश्री ऋतुपर्णा सान्याल, सास्वता गांगुली, गौरव केजरीवाल, आदित्य कनोरिया, अंकित कोहली, पंकज सिंघल, धवल वुसोंजी, रुबिन वकील, सुश्री सोनम म्हात्रे, सुश्री सलोनी सुलाखे, सुश्री नृत्य सिन्हा, सौरभ चौधरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. यह अपील दिनांकित 07.02.2020 के फैसले से उत्पन्न होती है, जैसा कि

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ["एन. सी. एल. ए. टी".] द्वारा दिनांकित 21.09.2020 आदेश द्वारा सुधार किया गया। अपीलार्थी इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2-मेसर्स का एक परिचालन लेनदार है। श्री राम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ["एस. आर. यू. आई. एल".], कंपनी जो बंद हो रही है-और उसके पक्ष में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है।

2014 का सारांश सूट No.626। दिनांक 06.10.2016 के आदेश के माध्यम से, डिवीजन बेंच ने दिनांकित 07.10.2015 के आदेश पर रोक लगा दी और एसआरयूआईएल को उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के पास 14 करोड़ रुपये जमा करने या उसी के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर स्थगन आदेश खाली हो जाएगा। उक्त अपील आज तक लंबित है।

[2021] 3 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचित किया कि एक निष्पादन आवेदन, निष्पादन आवेदन (एल) है

2016 का No.934 अपीलार्थी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और वह भी आज तक लंबित है।

2. 2015 में किसी समय, अपीलार्थी ने एक समापन याचिका दायर की थी,

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एस. आर. यू. आई. एल. के खिलाफ 2015 की कंपनी याचिका No.1039 है, जो आज तक लंबित है।

3. एक समापन याचिका, कंपनी याचिका संख्या 1066/2015 है।

इसमें प्रत्यर्थी संख्या 3, मेसर्स एक्शन बार्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। एस. आर. यू. आई. एल. के खिलाफ लिमिटेड ["एक्शन बार्टर"], दिनांक 05.10.2016 के एक सशर्त आदेश द्वारा, एस. आर. यू. आई. एल. द्वारा 5.9 करोड़ रुपये जमा करने में विफलता को स्वीकार किया गया। इस आदेश के खिलाफ एस. आर. यू. आई. एल. द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 17.01.2017 पर खारिज कर दिया था, जबकि एक्शन बार्टर द्वारा दायर अपील को उसी आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और एस. आर. यू. आई. एल. द्वारा जमा की जाने वाली राशि को 5.9 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया गया था। एक करोड़। दिनांक 27.02.2017 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) का निपटारा किया

एस. आर. यू. आई. एल. द्वारा दायर 2017 में एस. आर. यू. आई. एल. के वकील द्वारा एक बयान दर्ज करने के बाद कि एस. आर. यू. आई. एल. उसी दिन तीन करोड़ रुपये जमा करेगा, और आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर 15 करोड़ रुपये की शेष राशि। इसके बाद पक्षों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 22.03.2017 पर सहमति की शर्तें दायर कीं, जिसमें एक्शन बार्टर ने किश्तों में देय 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। 25 लाख रुपये की पहली किस्त के भुगतान के अलावा, कोई और किस्त नहीं

भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समापन याचिका 24.08.2017 पर पुनर्जीवित हो गई। 17.04.2018 पर, अस्थायी परिसमापक ने एस. आर. यू. आई. एल. की परिसंपत्तियों के भौतिक कब्जे को अपने हाथ में ले लिया।

4. जबकि यह समापन याचिका लंबित थी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ["इंडियाबुल्स"], एसआरयूआईएल के एक सुरक्षित लेनदार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ["एनसीएलटी"] के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ["आईबीसी"] की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की, जो थी

एन. सी. एल. टी. द्वारा 18.05.2018 दिनांकित आदेश को खारिज करते हुए कहा गया कि ऐसा नहीं है।

एक समापन याचिका के रूप में बनाए रखने योग्य बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. को एक अपील का भी ऐसा ही परिणाम हुआ क्योंकि 30.05.2018 पर अपील खारिज कर दी गई थी। हालाँकि, 06.08.2018 पर, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश से एक दीवानी अपील को स्वीकार कर लिया, जो आज तक लंबित है।

5. इंडियाबुल्स द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर एक आवेदनः

ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" माननीय न्यायालय अनंतिम परिसमापक को निर्देश देता है

उक्त बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपना

(भाग), 1/1540 (भाग), 2/1540 (भाग) और 3/1540 (भाग), सामूहिक रूप से प्लॉट Nos.5B बनाते हैं और 6 लगभग 28,409.57 मापते हैं। वर्ली एस्टेट, लोअर परेल डिवीजन में स्थित वर्ग मीटर,

इसके अनुसार, सुरक्षित लेनदार को मुंबई

और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

जिसके परिणामस्वरूप एक आदेश दिनांकित 07.02.2019 हुआ जिसके द्वारा विद्वान

कंपनी न्यायाधीश ने इंडियाबुल्स के पक्ष में उपरोक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। इंडियाबुल्स एक सुरक्षित लेनदार है जो समापन के बाहर खड़ा था, और जिन्होंने इस तरह की समापन कार्यवाही के बाहर अपनी सुरक्षा का एहसास करने की कोशिश की,

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन ["सरफेसी अधिनियम"]। न्यायालय ने 12.04.2018 के एक आदेश का उल्लेख किया, जिसके द्वारा अस्थायी परिसमापक को एस. आर. यू. आई. एल. की परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेना था।

उस आदेश की तारीख से एक सप्ताह। महत्वपूर्ण रूप से, उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में कहा गया है:

" 2. सुश्री मैत्रा का कहना है कि सुरक्षित लेनदारों के पास पहले से ही है

कंपनी के खिलाफ एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. के तहत कार्यवाही शुरू की।

बैंक कब और कैसे बैंकों के लिए आवेदन ले सकते हैं

सुरक्षित परिसंपत्तियों के उस हिस्से को सौंपने के लिए प्रस्तुतियाँ

बैंक, उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

6. यह मामला होने के कारण, कंपनी न्यायाधीश ने निम्नलिखित शर्तों में आवेदन की अनुमति दी:

" 13. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान आवेदन की अनुमति है।

अनंतिम परिसमापक को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया जाता है

आवेदक को बंधक संपत्ति का अधिकार। हालाँकि, आवेदक आधिकारिक परिसमापक के परामर्श से संपत्ति की बिक्री का संचालन करेगा। आवेदक भी जमा करेगा

इस न्यायालय के साथ बिक्री की आय या उसका कुछ हिस्सा जब और जब

अदालत आवेदक को ऐसा करने का निर्देश देती है, ताकि ऐसा किया जा सके

धारा 529 ए में निर्धारित श्रमिकों को भुगतान

कंपनी अधिनियम, 1956 ". [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडियाबुल्स से इंडियाबुल्स, जिन्होंने तब उक्त संपत्ति की बिक्री मेसर्स को की। ईमानदार आश्रय निजी। लिमिटेड ["ईमानदार आश्रय"], उत्तरदाता 4 इसमें, 705 करोड़ रुपये की राशि के लिए, जिसमें न केवल गिरवी रखी गई संपत्ति बेची गई थी, बल्कि दो अन्य फ्लैटों के साथ उस पर खड़ी अधिरचना भी थी। हमें तब से सूचित किया गया है कि 705 करोड़ रुपये का उक्त भुगतान प्राप्त करने पर इंडियाबुल्स द्वारा 26.06.2019 पर ऑनेस्ट शेल्टर्स को तीन बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। हमें यह भी सूचित किया गया है कि एस. आर. यू. आई. एल. के पूर्व निदेशकों ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में उपरोक्त बिक्री को असफल रूप से चुनौती दी थी। अस्थायी परिसमापक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उक्त बिक्री को भी चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 07.02.2019 दिनांकित आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, और जो बेचा गया था वह सुरक्षित को गिरवी रखे गए सामान से बहुत अधिक था।

लेनदार, और वह भी सकल अवमूल्यन पर। हमें सूचित किया जाता है कि इन लंबित कार्यवाही में अगली तारीख 23.03.2021 है।

8. इस बीच, हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 1, यानी एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड ["एस. आर. ई. आई".] ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की।

एन. सी. एल. टी. के समक्ष, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा 06.11.2019 पर स्वीकार किया गया था। इसके बाद एक्शन बार्टर द्वारा उपरोक्त एन. सी. एल. टी. आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय के फैसले को निर्धारित करने के बाद फोरच (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एडलवाइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2019) 18 एस. सी. सी. 549 ["फोरच"], एन. सी. एल. ए. टी. ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील को खारिज कर दिया:

" 5. अपीलार्थी का मामला फोरच इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है, इसलिए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी-एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है। जहाँ तक माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन याचिका का संबंध है, अपीलकर्ता फोरच इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है।

बॉम्बे।

अपील को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं। "

9. एन. सी. एल. ए. टी. ने 21.09.2020 दिनांकित एक आदेश द्वारा आदेश के पैराग्राफ 5 में आए "नहीं" शब्द को हटाकर आदेश को सही किया।

दिनांकित 07.02.2020।

10. इसके बाद एक्शन बार्टर द्वारा 08.10.2020 पर इस न्यायालय में एक अपील दायर की गई, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 27.10.2020 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया और पक्षकारों को गिरवी रखी गई संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। अपीलार्थी 09.12.2020 द्वारा एक अपील भी दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 18.12.2020 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

एन. सी. एल. टी. ने एक्शन बार्टर द्वारा दायर अपील के साथ अपील को टैग किया।

11. हमें सूचित किया गया है कि एक्शन बार्टर और गिरवी रखी गई संपत्ति के खरीदार के बीच एक समझौते के अनुसार, यानी, ईमानदार

शेल्टर्स, एक्शन बार्टर ने अब इस न्यायालय के समक्ष दायर अपनी अपील को वापस ले लिया है। इस प्रकार, हमारे समक्ष एकमात्र बची हुई अपील 2020 की सिविल अपील Nos.4230-4234 है, जो ए. नवीनचंद्र स्टील्स प्राइवेट द्वारा दायर की गई है। लि. 12. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के फैसले को ध्यान में रखते हुए। लिमिटेड वी. श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1025 ["एक्शन"]

इस्पात], यह मामला उनके पक्ष में समाप्त हो गया है क्योंकि एक समापन याचिका में अपरिवर्तनीय कदम उठाए गए हैं जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि जिस भूखंड पर 72 मंजिला इमारत खड़ी है, उसे अब बेच दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब इसे बेच दिया गया है।

स्पष्ट करें कि धारा 7 याचिका जो एस. आर. ई. आई. द्वारा 30.05.2019 पर दायर की गई थी।

आई. बी. सी. के तहत, गैर-रखरखाव योग्य माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 के बराबर है) का प्रभाव यह है कि समापन याचिका को स्वीकार करने के बाद कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह मामला होने के कारण, समापन याचिका को स्वीकार करने के बाद, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह सोचना गलत है कि कार्यवाही को समाप्त करने के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट मृत्यु होनी चाहिए। इसके विपरीत, उनके अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 393 लागू होगी यदि कंपनी

पुनर्गठन किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप समापन अदालत तब समापन पर रोक लगा सकती थी और पुनर्गठन का आदेश दे सकती थी। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में घोर दुर्भावना है क्योंकि एस. आर. ई. आई. को न केवल बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष समापन याचिका के बारे में पता था, बल्कि उसने समापन कार्यवाही में भी भाग लिया है और अस्थायी परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर किया है। यह सब दबा दिया गया है।

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर याचिका में। इसके अलावा, एस. आर. ई. आई. के लिए उपलब्ध एकमात्र मार्ग वास्तव में कंपनी याचिका [2021] 3 एस. सी. आर. के हस्तांतरण के लिए कहना था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय से एन. सी. एल. टी. तक समापन में, जिसे धारा 7 याचिका दायर करके और समापन कार्यवाही को दबाकर दरकिनार कर दिया गया है।

13. एस. आर. ई. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिजीत सिन्हा ने हमें इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बारे में बताया, जिनमें शामिल हैं -

एक्शन इस्पात (ऊपर) में नवीनतम निर्णय। उनके अनुसार, आई. बी. सी. के तहत धारा 7 की कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है, जिसे समाप्त करने का आदेश दिए जाने के बाद भी किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह हमारे निर्णयों का परिणाम था और आई. बी. सी. की धारा 238, जिसमें एक गैर-बाधा खंड शामिल है, स्पष्ट रूप से उनके बचाव में आती है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279 और आई. बी. सी. के बीच कोई टकराव है, तो आई. बी. सी. प्रबल होगा। उनके अनुसार, यह बिंदु अब रेसिंटेग्रा नहीं है। उन्होंने वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में परिसमापन की कार्यवाही में कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि अस्थायी परिसमापक को एसआरयूआईएल की अन्य संपत्तियों से जब्त किया जाना जारी है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिसमापन के बाहर एक सुरक्षित लेनदार द्वारा एक निजी बिक्री अपरिवर्तनीय कदम नहीं है जिसका एक्शन इस्पात (ऊपर) में उल्लेख किया गया है, ऐसा कदम अस्थायी परिसमापक द्वारा स्वयं कंपनी की संपत्तियों को बेचने के लिए उठाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तथ्यों पर, दो आदेश दिनांकित 28.11.2019 और

20.01.2020 बंबई उच्च न्यायालय का आदेश यह इंगित करेगा कि कंपनी न्यायालय ने स्वयं अस्थायी परिसमापक को एस. आर. यू. आई. एल. के अभिलेखों और परिसंपत्तियों को अंतरिम समाधान पेशेवर ["आई. आर. पी".] को सौंपने का निर्देश दिया था जिसे धारा 7 की कार्यवाही में नियुक्त किया गया था। निस्संदेह, ऐसी परिसंपत्तियों को इसलिए नहीं सौंपा गया था क्योंकि वे आई. आर. पी. द्वारा अस्थायी परिसमापक को कुछ भुगतान किए जाने के केवल दो सप्ताह बाद ही उन्हें सौंप दिए गए थे, जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

14. सभी पक्षों के विद्वान परामर्श को सुनने के बाद, कुछ बुनियादी बातों को फिर से बताना महत्वपूर्ण है। आई. बी. सी. के उद्देश्य को चित्रित रूप में दिया गया है

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड के पैराग्राफ 25 से 28 में v. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17 ["स्विस रिबन"], यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. एक विशेष क़ानून है जो उन कंपनियों के पुनरुद्धार से संबंधित है जो लाल रंग में हैं, जो केवल पुनरुद्धार के सभी प्रयासों के विफल होने पर ही बंद हो जाती हैं। विज़-ए-विज़

कंपनी अधिनियम, जो कंपनियों से संबंधित एक सामान्य कानून है, जिसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो विवादित हैं, आई. बी. सी. न केवल एक विशेष कानून है जो संघर्ष की स्थिति में प्रबल होना चाहिए, बल्कि धारा 238 में निहित एक गैर-अबाधित खंड है, जो इसे और भी स्पष्ट करता है कि संघर्ष के मामले में, आई. बी. सी. के प्रावधान प्रबल होंगे।

ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. इलाहाबाद बैंक बनाम. केनरा बैंक (2000) 4 एस. सी. सी. 406, यह

न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ["आर. डी. बी. अधिनियम"] एक विशेष क़ानून था।

कंपनी अधिनियम, 1956। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और आर. डी. बी. अधिनियम के विरुद्ध प्रबल नहीं है, जो बाद का अधिनियम था और जिसमें एक गैर-बाधा खंड है जो संघर्ष के मामले में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है। यह न्यायालय द्वारा इस प्रकार कहा गया था:

" विशेष कानून v. सामान्य कानून

38. साथ ही, कुछ उच्च न्यायालयों ने सही निर्णय दिया है कि

कंपनी अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और इसके तहत प्रबल नहीं है

आरडीबी अधिनियम। उन्होंने भारत संघ बनाम पर भरोसा किया है। भारत

फिशरीज (पी) लिमिटेड [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 35: (1965) 3 एससीआर 679: (1965)

57 आई. टी. आर. 331]

39. कानून में ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक ही क़ानून हो।

सामान्य कानून बनाम एक अन्य कानून। ऐसी होती हैं स्थितियां जैसा कि भारत के एल. आई. सी. बनाम में आयोजित किया गया है। डी. जे. बहादुर [(1981) 1 एससीसी

315 1981 एससीसी (एल एंड एस) 111: ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 2181] वह वहाँ था।

देखा गया:

" ..... कुछ मामलों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ मामलों के लिए

अन्य उद्देश्यों के लिए, यह विशेष हो सकता है और अदालत अस्पष्ट नहीं कर सकती है कानून के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर "।

उदाहरण के लिए, एक किराया नियंत्रण अधिनियम एक विशेष क़ानून हो सकता है

सिविल प्रक्रिया संहिता की तुलना में। लेकिन एक अधिनियम के रूप में सार्वजनिक परिसरों या किसी विशेष वर्ग से बेदखली की अनुमति देना

भवन, किराया नियंत्रण अधिनियम एक सामान्य क़ानून हो सकता है। वास्तव में दामजी वालजी शाहव में। एल. आई. सी. ऑफ इंडिया [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 135: (1965) 3

एस. सी. आर. 665] (पहले से संदर्भित), इस न्यायालय ने कहा है कि एल. आई. सी. अधिनियम, 1956 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 को माना जा सकता है।

एक सामान्य कानून के रूप में। यह उस निर्णय के पैरा 19 से स्पष्ट है। यह देखा गया:

" इसके अलावा, विशेष अधिनियम, यानी एल. आई. सी. अधिनियम के प्रावधान,

सामान्य अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करें, अर्थात। , कंपनियाँ

अधिनियम जो सामान्य रूप से कंपनियों से संबंधित एक अधिनियम है।

(मूल में जोर)

इस प्रकार, कुछ उच्च न्यायालयों ने कंपनी अधिनियम को एक सामान्य क़ानून और आर. डी. बी. अधिनियम को एक विशेष क़ानून के रूप में माना।

सामान्य कानून।

विशेष कानून v. विशेष कानून

40. वैकल्पिक रूप से, कंपनी अधिनियम, 1956 और आर. डी. बी. अधिनियम दोनों को विशेष कानूनों के रूप में माना जा सकता है, और यह सिद्धांत कि जब दो विशेष कानून होते हैं, तो बाद वाला आम तौर पर पहले वाले पर प्रबल होगा यदि बाद वाले विशेष अधिनियम में इसे अधिस्थापक प्रभाव देने का प्रावधान है, तो इसे भी लागू किया जा सकता है। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 34 में ऐसा प्रावधान है। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई

टचूब्स लिमिटेड बनाम। राज्य औद्योगिक और निवेश निगम। में से

महाराष्ट्र लिमिटेड [(1993) 2 एस. सी. सी. 144] जहां दो विशेष कानूनों, वित्त निगम अधिनियम, 1951 और बीमार उद्योग कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के बीच विसंगति थी। उत्तरार्द्ध में धारा 32 थी जिसमें अधिस्थगन दिया गया था।

इसके प्रावधानों पर प्रभाव डालता है और पूर्व पर प्रबल माना जाता है। जे. अहमदी द्वारा यह इंगित किया गया था कि दोनों विशेष क़ानूनों में शामिल हैं

गैर अड़चन खंड लेकिन कि

" 1985 अधिनियम एक अनुवर्ती अधिनियमन होने के कारण, उसमें अबाधित खंड आम तौर पर 1951 के अधिनियम की धारा 46-बी में अबाधित खंड पर प्रबल होगा जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि 1985 का अधिनियम एक सामान्य क़ानून है और 1951 का अधिनियम एक विशेष क़ानून है।

एक "। (एस. सी. सी पी. 157, पैरा 9)

इसलिए, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 34 को देखते हुए, उक्त अधिनियम कंपनी अधिनियम को इस हद तक दरकिनार कर देता है कि अधिनियमों के बीच कुछ भी असंगत है।

16. इसी तरह, बेकेमन्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम। नया।

कानपुर फ्लोर मिल्स, (2008) 15 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 ["एस. एफ. सी. अधिनियम"] और कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि एस. एफ. सी. अधिनियम 1951 का एक पूर्व अधिनियम था, फिर भी

यह कंपनी न्यायाधीश के समक्ष समापन कार्यवाही पर प्रबल होगा, यह देखते हुए कि एस. एफ. सी. अधिनियम कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी न्यायाधीश की सामान्य शक्तियों के लिए एक विशेष क़ानून है। यह निम्नलिखित रूप में कहा गया था:

" 37. 1951 का अधिनियम निर्विवाद रूप से एक विशेष क़ानून है। यदि कोई वित्तीय निगम धारा नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग करना चाहता है।

29 1951 के अधिनियम के अनुसार, यह सामान्य शक्तियों पर हावी होगा।

कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी न्यायाधीश। 38. इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि 1951 के अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्यवाही इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए कंपनी न्यायाधीश के समक्ष समापन कार्यवाही पर प्रबल होगी। कर्नाटक

राज्य वित्तीय निगम। [(2003) 10 एस. सी. सी. 482] जिसमें यह आयोजित किया गया है: (एस. सी. सी पी. 496, पैरा 26)

" 26. हम वास्तव में एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 29 और कंपनी अधिनियम के बीच कोई टकराव नहीं देखते हैं, क्योंकि धारा 29 के तहत अधिकारों का उद्देश्य ऐसी स्थिति में काम करना नहीं था।

एक कंपनी का समापन। इसके विपरीत यह मानते हुए भी कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हम ए. पी. राज्य वित्तीय मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार को सम्मानपूर्वक दोहराते हैं।

कॉर्प. मामला [ए. पी. राज्य वित्तीय निगम। वी. आधिकारिक

परिसमापक, (2000) 7 एस. सी. सी. 291]। इस न्यायालय ने इसमें बताया कि एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 29 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) और 529-ए के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है।

चूंकि एस. एफ. सी. कामगारों के समान प्रभार को नजरअंदाज करते हुए धारा 29 के तहत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

राजस्थान राज्य वित्तीय निगम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसमें लिए गए विचार को दोहराया। वी. आधिकारिक परिसमापक [(2005) 8 एस. सी. सी. 190] जिसमें यह कहा गया था: (एससीसी पीपी। 201-02 , पैरा 18)

" 18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इसे उचित समझते हैं।

कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जाए: (i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत कार्य करने वाला एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋणदाता की संपत्तियों को बेचने का आदेश देने का हकदार होगा, भले ही कोई कंपनी परिसमापन में हो, अपने वसूली अधिकारी के माध्यम से, लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या वित्तीय संस्थानों को नोटिस देने के बाद।

कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक और सुनवाई के बाद

उसे। (ii) एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाले जिला न्यायालय के पास उधारकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री का आदेश देने की शक्ति होगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बाद ही।

21] 3 एस सी आर।

द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक या परिसमापक को सूचना

कंपनी अदालत और उसे सुनने के बाद।

(iii) यदि एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्य करने वाला कोई वित्तीय निगम किसी देनदार कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने या अन्यथा हस्तांतरण करने का प्रयास करता है, तो उक्त शक्ति का उपयोग उसके द्वारा उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

कंपनी न्यायालय से और अधिकारी को संबद्ध करने के संबंध में उस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कार्य करना

बिक्री के साथ परिसमापक, अपसेट मूल्य या आरक्षित मूल्य का निर्धारण, बिक्री की पुष्टि, बिक्री का धारण

आय और कंपनी की धारा 529-ए और धारा 529 के संदर्भ में लेनदारों के बीच उसका वितरण।

एक्ट करें।

(iv) ऐसे मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 या एस. एफ. सी. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, संबंधित लेनदार को संपर्क करना है।

प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप अपनी प्रतिभूतियों की प्राप्ति के संबंध में उचित निर्देशों के लिए कंपनी न्यायालय

परिसंपत्तियों के वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम

कंपनी-परिसमापन में "।

(आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक लिमिटेड बनाम को भी देखें। सिडको लेदर लिमिटेड [(2006) 10

एससीसी 452: (2006) 5 स्केल 27]) "

17. मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम। बी. आई. एफ. आर., (2016) 4 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या आई. बी. सी. के लिए एक पूर्ववर्ती क़ानून, जिसे आई. बी. सी. द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अर्थात् बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान)

अधिनियम, 1985, सरफेसी अधिनियम पर उस हद तक प्रचलित है जब तक कि उसमें विसंगति है। इस न्यायालय ने नोट किया कि मामले में दो क़ानून जिनमें गैर-अबाधित खंड होते हैं, बाद का अधिनियम आम तौर पर प्रबल होगा, जिसमें कहा गया है:

" 36. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ से पता चलता है कि बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 उन सभी स्थितियों में लागू होता है जहां पहले के अधिनियम अबाधित रहते हैं।

बीमार औद्योगिक कंपनियों के समान खंड (विशेष

प्रावधान) अधिनियम, 1985। जहां बाद में इसी तरह के गैर-अबाधित खंडों के साथ अधिनियम हैं, बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष

प्रावधान) अधिनियम, 1985 को केवल ऐसी स्थिति में प्रबल माना गया है जहां बाद के अधिनियम में गैर-बाधा खंड की पहुंच है।

सीमित-जैसे कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के मामले में या बाद के अधिनियम के मामले में जो स्पष्ट रूप से बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुरूप है, जैसा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के मामले में है। जहाँ ऐसा मामला नहीं है, जैसा कि विशेष न्यायालय अधिनियम, 1992 के मामले में है, यह विशेष न्यायालय अधिनियम, 1992 है जिसे बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 पर प्रबल माना गया था।

37. अब हमें विचाराधीन अधिनियमों का विश्लेषण करना होगा। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 37 और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 34 के बीच का अंतर सबसे पहले ध्यान देने योग्य है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 37 में बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) शामिल नहीं हैं।

अधिनियम, 1985, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 की धारा 34 (2) के विपरीत। की धारा 37

प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में कहा गया है कि उक्त अधिनियम चार अधिनियमों के अतिरिक्त होगा और उनका अपमान नहीं करेगा।

अर्थात्, कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993। यह स्पष्ट है कि पहले तीन अधिनियम आम तौर पर प्रतिभूतियों से संबंधित हैं और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली से संबंधित है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 41

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन तीन अधिनियमों-कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में संशोधन करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल पहले दो अधिनियम धारा 37 में शामिल हैं न कि तीसरे यानी बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में। यह स्पष्ट कारण है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के निर्माताओं का इरादा था कि बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को गैर-अबाधित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के दायरे में लाया जाए।

21] 3 एस सी आर।

उपबंध) अधिनियम, 1985 उपरोक्त स्थिति को और स्पष्ट नहीं करता है। और यह, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बैंकों को देय ऋणों की वसूली की धारा 34 (2) के बिल्कुल विपरीत है और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993, जिसमें स्पष्ट रूप से बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 शामिल था। नई विधायी योजना में निहित ऋणों की वसूली

इसलिए, प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन को बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष) पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय देय ऋणों की वसूली में निहित ऋणों की वसूली के लिए पुरानी योजना के विपरीत

संस्थान अधिनियम, 1993 "।

18. वास्तव में, इस स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में प्रतिध्वनित किया गया है। जयपुर में धातु और विद्युत कर्मचारी संगठन वी. जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 227 ["जयपुर मेटल्स"], इस न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कहा कि क्या बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत कार्यवाही आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जानी थी।

एन. सी. एल. टी. द्वारा 13-4-2018 पर आवेदन। यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही के हस्तांतरण से कोई लेना-देना नहीं है। यह था।

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले किसी भी समय प्रतिवादी 3 के लिए खुला रहता है। यह संहिता की धारा 238 के साथ धारा 7 को पढ़ने से स्पष्ट होता है।

इस प्रकार पढ़ता है:

" 238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान। इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि कुछ भी असंगत है जो उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी भी साधन में निहित है जो गुण द्वारा प्रभावी है। ऐसे किसी भी कानून का। "

नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

20. श्री दवे का सरल तर्क है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है।

संहिता, संशोधित धारा 434 को संहिता के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि कंपनी अधिनियम, 2013 को, इस कारण से अस्वीकार किया जाना चाहिए कि हालांकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, फिर भी धारा 434, जैसा कि प्रतिस्थापित किया गया है, केवल कंपनी अधिनियम, 2013 में दिखाई देता है और उस अधिनियम का हिस्सा है। ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा 434 और संहिता के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति है, तो बाद वाले को प्रबल होना चाहिए। हमारा विचार है कि एन. सी. एल. टी. एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था।

अर्थात्, अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। यह मामला होने के कारण, यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय यह कैसे मान सकता था कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। इस आधार पर, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही अब उस चरण से जारी रहेगी जिस पर उन्हें छोड़ दिया गया है। जाहिर है, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनी याचिका को संहिता की धारा 238 को देखते हुए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं का भी इस तथ्य के आलोक में निपटारा किया जाना चाहिए कि संहिता के तहत कार्यवाही को अपना पूरा पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले [जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड] को खारिज कर देते हैं।

पुनः, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 1472]।

19. इसी तरह, फोरच (ऊपर) में, एक ऐसी स्थिति में जिसमें एक समापन याचिका में नोटिस जारी किया गया था और उक्त याचिका को एन. सी. एल. टी. को भेजने का आदेश दिया गया था, के तहत एक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा

इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित कियाः

" 22. यह धारा सीमित अनुप्रयोग की है और केवल एक निगमित को प्रतिबंधित करती है।

देनदार को संहिता की धारा 10 के तहत एक याचिका शुरू करने से, जिसके संबंध में परिसमापन आदेश दिया गया है। इस धारा को पढ़ने से यह पता नहीं चलता है कि जब तक निगमित देनदार के खिलाफ परिसमापन आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक एक दिवालियापन है।

याचिका धारा 7 या धारा 9 के तहत दायर की जा सकती है, जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। इसलिए, हमारे सामने समस्या के संदर्भ में धारा 11 का कोई भी संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक है। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं

21] 3 एस सी आर।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया क्योंकि यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार का आवेदन जिसे न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है, स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका निर्णय संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

20. डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ए जे एग्रोकेम, (2019) 9

एस. सी. सी. 725, इस न्यायालय को चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16-जी (1) (सी) के बीच संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके तहत परिसमापन/परिसमापन की कार्यवाही होनी थी (और जो नहीं हो सकती थी)। केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बिना), और आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत शुरू की गई कार्यवाही। के निर्णय पर भरोसा करने के बाद

इस न्यायालय ने अभिनव उद्योग लिमिटेड बनाम. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407 और स्विस रिबन (उपरोक्त), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 7.4 . धारा 16-जी (1) (सी) समापन की कार्यवाही को संदर्भित करती है।

ऐसी कंपनी की या उसके संबंध में प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए। इसलिए, धारा 9 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही सीमित नहीं होगी और/या केवल समापन और/या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं होगी। कंपनी का समापन/परिसमापन अंतिम उपाय होगा और केवल उस स्थिति में जब कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया विफल हो जाए। जैसा कि देखा गया है

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड में यह न्यायालय [स्विस रिबन (पी)]

लिमिटेड वी. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17: ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 7391, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, आई. बी. सी. को लागू करते समय कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को उससे बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।

परिसमापन द्वारा निगमित ऋण से प्रबंधन और इस तरह के निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। इसलिए, संपूर्ण "कॉर्पोरेट दिवालियापन"

समाधान प्रक्रिया को "समापन कार्यवाही" के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, धारा 238 आई. बी. सी. पर विचार करते हुए, जो चाय अधिनियम, 1953 का एक अनुवर्ती अधिनियम है, लागू होगा और आई. बी. सी. के प्रावधानों का चाय पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ेगा।

अधिनियम, 1953। कोई भी अन्य दृष्टिकोण आई. बी. सी. के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले,

चाय अधिनियम की धारा 16-जी (1) (सी) के तहत केंद्र सरकार को उस मामले में मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य प्राप्त करना है।

आई. बी. सी. का "निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया" को समयबद्ध तरीके से पूरा करना निराशाजनक होगा।

ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v. एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और उपरोक्त चर्चा का सार यह होगा कि प्रावधान

आई. बी. सी. का चाय अधिनियम, 1953 पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ेगा।

धारा 7 या धारा 9 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही का होगा केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना भी आवश्यक,

धारा 7 या धारा 9 आई. बी. सी. के तहत दिवालिया कार्यवाही

प्रचालन लेनदार द्वारा शुरू किया गया कार्य रखरखाव योग्य होगा। 21. कैलेडोनिया में जूट और फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. एक्सिस निर्माण

एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 943 ["कैलेडोनिया"], इस न्यायालय ने फैसला किया कि क्या कंपनी में समापन की कार्यवाही चल रही है।

अदालत को इस तथ्य के बावजूद स्थानांतरित किया जा सकता था कि समापन आदेश पारित कर दिया गया था और फिर इसे स्थगित कर दिया गया था। इस न्यायालय में

अनुच्छेद

27 , आयोजितः

" 27. कुछ प्रकार के हस्तांतरण के प्रावधान के अलावा

कानून के संचालन द्वारा कार्यवाही को समाप्त करना, धारा 434 (1) (सी)

उन कार्यवाहियों के पक्षों को एक विकल्प भी देता है कि वे

ऐसी कार्यवाही का एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरण। यह पाँचवें के तहत है खंड (ग) का परंतुक।"

इसके बाद अदालत ने एक समापन कार्यवाही में यह फैसला सुनाया

जिसे स्वीकार किया गया है, क्योंकि सभी लेनदार आर. ई. एम. में ऐसी कार्यवाही के पक्षकार होंगे, इसलिए एक सुरक्षित लेनदार ऐसा पक्षकार होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) के पांचवें परंतुक के तहत कंपनी न्यायालय का रुख कर सकता है ताकि उपरोक्त कार्यवाही को कंपनी को हस्तांतरित किया जा सके। एन. सी. एल. टी. पर, जैसा भी मामला हो, धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा।

22. कार्रवाई इस्पात (ऊपर) में, इस न्यायालय का सामना एक

कार्यवाही जिसमें एक समापन याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी और फिर एक कार्यवाही के रूप में मुकदमा चलाने के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया था। आईबीसी के तहत। जयपुर मेटल्स (ऊपर), फोरच (ऊपर) और कैलेडोनिया (ऊपर) में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को बंद करने से संबंधित विभिन्न धाराओं को स्थापित करने के बाद, इस न्यायालय ने तब निर्णय दिया:

" 20. तीन निर्णयों को पढ़ने पर क्या स्पष्ट हो जाता है

इस न्यायालय का निम्नलिखित कार्य है:

(i) जहाँ तक समापन कार्यवाही के हस्तांतरण का संबंध है, संहिता की शुरुआत अस्थायी रूप से समापन [2021] 3 एस. सी. आर. से संबंधित कार्यवाही को छोड़कर हुई।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जाने वाली कंपनियों की संख्या।

((ii) यह हस्तांतरण नियम, 2016 [कंपनियों] द्वारा किया गया था। (लंबित कार्यवाहियों का हस्तांतरण) नियम, 2016] जो 15.12.2016 से लागू हुए। नियम 5 और 6 में तीन प्रकार की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। केवल वे कार्यवाहियाँ जो समापन याचिका के नोटिस की पूर्व-सेवा के चरण में हैं, अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जाती हैं।

(iii) इसलिए परिणाम यह हुआ कि नोटिस के बाद और समापन याचिकाओं के पूर्व प्रवेश के तहत समानांतर कार्यवाही जारी रहेगी। दोनों कानून, सबसे असंतोषजनक स्थिति की ओर ले जाते हैं। इसके कारण धारा 434 (1) (सी) के लिए 5वें परंतुक की शुरुआत हुई, जैसा कि कैलेडोनिया [कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड] में सही ढंग से बताया गया है। लिमिटेड वी. एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 943], किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं है।

एक समापन प्रक्रिया।

((iv) इसलिए, कानून के मामले के रूप में जो आगे आता है वह यह है कि समापन याचिका के स्वीकार होने के बाद भी, और किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को लेने के लिए कंपनी परिसमापक की नियुक्ति के बाद, ऐसी याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार कंपनी न्यायालय में निहित है। इस मामले में हमारे सामने जो सवाल उठता है वह यह है कि इस तरह के विवेक का प्रयोग कैसे किया जाए?

एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरणीय जिसे संहिता के तहत हल किया जाना है। नोटिस जारी होने और प्रवेश से पहले भी वही परिणाम सामने आएगा। हालांकि, एक समापन याचिका को स्वीकार करने के बाद और कंपनी की परिसंपत्तियों को समाप्त करने की मांग के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 290 यह इंगित करती है कि ए. नविंचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v.

कंपनी परिसमापक कंपनी का व्यवसाय चला सकती है,

जहाँ तक आवश्यक हो, कम्पनी के लाभकारी समापन के लिए, और यहाँ तक कि कम्पनी को एक चालू संस्था के रूप में भी बेच सकते हैं। जब तक अचल या चल संपत्तियों की कोई वास्तविक बिक्री नहीं हुई है, तब तक ऐसा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया जाता है जो कंपनी न्यायालय को किसी लेनदार या कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा उसे किए गए हस्तांतरण आवेदन पर अपने हाथों को रोकने की गारंटी देता हो। यह केवल वहीं है जहां समापन की कार्यवाही एक ऐसे चरण में पहुंच गई है जहां यह अपरिवर्तनीय होगी, जिससे यह समय निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि कंपनी न्यायालय को अब एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही स्थानांतरित करने के बजाय समापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

संहिता के प्रावधानों के अनुसार। यह चरण पूरा हो गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
23. उपरोक्त अधिकारियों का एक पर्यवेक्षक यह दिखाएगा कि

आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत याचिका एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो उसी कंपनी के तहत दायर की जाने वाली कार्यवाही को समाप्त करने से प्रभावित नहीं होती है। आई. बी. सी. द्वारा हासिल किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल वहीं जगह है जहां एक कंपनी का समापन निकट है।

निगमित मृत्यु कि समापन कार्यवाही का कोई हस्तांतरण तब आई. बी. सी. के तहत एक कार्यवाही के रूप में मुकदमा चलाने के लिए एन. सी. एल. टी. को नहीं किया जाएगा। एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष से कम कि कॉर्पोरेट मृत्यु अपरिहार्य है, बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

लोकहित, जिसमें न केवल निगमित देनदार के कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि इसके लेनदार और देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में उत्पादित वस्तुएं भी शामिल हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से उस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है जिसमें धारा 446 का उल्लेख किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 279, एक बार समापन याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, समापन याचिका को आई. बी. सी. के तहत दायर धारा 7 या धारा 9 याचिका के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार के किसी भी बाद के प्रयास को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 393 का उपयोग किसी दी गई तथ्यात्मक परिस्थिति में कंपनी को संकट से बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (1) निर्देशात्मक है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

" 230. समझौता करने या व्यवस्था करने की शक्ति ऋणदाता और सदस्य। - (1) जहाँ कोई समझौता या

व्यवस्था प्रस्तावित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है

[2021] 3 एस सी आर।

(क) किसी कंपनी और उसके लेनदारों या उनमें से किसी भी वर्ग के बीच;

या

((ख) किसी कंपनी और उसके सदस्यों या उनमें से किसी वर्ग के बीच,

न्यायाधिकरण, कंपनी या कंपनी के किसी लेनदार या सदस्य के आवेदन पर, या किसी कंपनी के मामले में

इस अधिनियम के तहत या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत नियुक्त परिसमापक की, जिसे समाप्त किया जा रहा है, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग की, जैसा भी मामला हो, एक बैठक का आदेश दें। न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से बुलाया, आयोजित और संचालित किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन द्वारा या विभिन्न वर्गों के शेयरों में शेयरों के विभाजन द्वारा या दोनों द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी का पुनर्गठन शामिल है।

XXX XXX "

इस धारा से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि समझौता या व्यवस्था

यदि परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो आई. बी. सी. कार्यवाही में भी प्रवेश किया जा सकता है। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कंपनी अधिनियम के तहत, यह केवल समापन है जिसे आदेश दिया जा सकता है, जबकि आई. बी. सी. के तहत, प्राथमिक जोर एक नए ऋण के निवेश के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार पर है।

प्रबंधन।

इस्पात (ऊपर)। 25. यह तय किया गया कानून है कि एक सुरक्षित लेनदार परिसमापन के बाहर खड़ा होता है और कार्यवाही को समाप्त करने के अपने सुरक्षा विकारों का एहसास कर सकता है। एम. के. रंगनाथन बनाम सरकार. मद्रास, (1955) 2 एस. सी. आर. 374 के इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" एक कंपनी के समापन में एक सुरक्षित लेनदार की स्थिति इस प्रकार खाद्य में लॉर्ड व्रेनबरी द्वारा बताई गई है।

नियंत्रक वी. कॉर्क [1923 अपील मामले 647]:

" 'समापन के बाहर' वाक्यांश एक समझ में आने वाला वाक्यांश है यदि इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि अक्सर एक सुरक्षित लेनदार के संदर्भ में होता है, एक बंधककर्ता कहते हैं। परिसमापन में एक कंपनी का बंधक एक नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड v में है।

एस. आर. ई. आई. इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह कहने की स्थिति "गिरवी रखी गई संपत्ति मेरी संपत्ति को गिरवी रखने की सीमा तक है। यह मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मेरा बंधक समाप्त हो रहा है या नहीं। मैं वाइंडिंग के बाहर रहता हूँ

और बंधक के रूप में मेरे अधिकारों को लागू करेगा। यह उस मामले के विपरीत है जिसमें ऐसा लेनदार पसंद करता है

अपने अधिकार का दावा करें, एक बंधक के रूप में नहीं, बल्कि एक लेनदार के रूप में। वह कह सकता है 'मैं अपने ऋण के संबंध में साबित कर दूंगा'। यदि ऐसा है, तो वह अंदर आता है

समापन "।

इसका सारांश पामर्स कंपनी प्रेसीडेंट्स खंड में भी दिया गया है। II, पृष्ठ 415:

" कभी-कभी गिरवीदार के साथ या उसके बिना बेचता है। परिसमापक की सहमति, बंधक द्वारा उसे निहित बिक्री की शक्ति का प्रयोग करते हुए। बिक्री की शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, हालांकि देने के आदेश

इस तरह की स्वतंत्रता कभी-कभी दी गई है।

इस प्रकार सुरक्षित लेनदार परिसमापन से बाहर है और परिसमापन अदालत की अनुमति के बिना अपनी प्रतिभूति का एहसास कर सकता है, हालांकि यदि वह अपनी प्रतिभूति की प्राप्ति के लिए कोई मुकदमा दायर करता है या अन्य कानूनी कार्यवाही करता है तो वह धारा 239 (भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 171 के अनुरूप) के तहत परिसमापन अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए बाध्य है, इससे पहले कि वह ऐसा कर सके। लगभग स्वचालित रूप से प्रदान किया जाएगा। धारा 221 को धारा 228 (1) के साथ पढ़ा गया है और बाद में निर्दिष्ट कुर्की, अभिग्रहण, संकट या निष्पादन में न्यायालय के माध्यम से की गई कार्यवाही का संदर्भ है और यदि लेनदार ने उन कार्यवाहियों का सहारा लिया है तो वह उन्हें परिसमापन न्यायालय की अनुमति के बिना परिसमापन शुरू होने के बाद कंपनी की संपत्ति या प्रभावों के खिलाफ लागू नहीं कर सकता है। धारा 317 के प्रावधान भी धारा 211 के प्रावधानों के पूरक हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षित लेनदार की स्थिति परिसमापन से बाहर है, सुरक्षित लेनदार, उन अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में, उसी स्थिति में है जो वह दिवालियापन अधिनियम के तहत होगा।

भारतीय कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों को अंग्रेजी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से लगभग शारीरिक रूप से शामिल किया गया है और यदि और कुछ नहीं था, तो यहां सुरक्षित लेनदार की स्थिति भी [2021] 3 एस. सी. आर. में प्राप्त करने के समान होगी।

इंग्लैंड और वह भी समापन और बिक्री से बाहर होंगे।

न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उसके द्वारा वैध होगा और

धारा 232 (1) के तहत अमान्य के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है, भारतीय कंपनी अधिनियम "।

(पृष्ठ 383,384 पर)

इस सिद्धांत का पालन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम में किया गया है।

एल्मोट इंजीनियरिंग कं., (1994) 4 एस. सी. सी. 159 (पैराग्राफ 14 पर), औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. श्रीनिवास एजेंसियां, (1996) 4 एस. सी. सी. 165 (पैराग्राफ 2 पर), और न्यासी मंडल, पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। , (1998) 4 एस. सी. सी. 303 (पैराग्राफ में)

12) .

26. इंडियाबुल्स, कॉर्पोरेट देनदार का एक सुरक्षित लेनदार, अर्थात।

एस. आर. यू. आई. एल. ने, एक बंधक द्वारा अपने ऋण को लागू करते हुए, बंधक की गई संपत्ति को परिसमापन के बाहर बेच दिया है। उपरोक्त बिक्री बॉम्बे उच्च न्यायालय में कार्यवाही का विषय है जिसे अस्थायी द्वारा दायर किया गया है।

परिसमापक। यदि उपरोक्त बिक्री को अलग रखा जाता है, तो बेची गई एस. आर. यू. आई. एल. की संपत्ति समापन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी परिसमापक को वापस आ जाएगी। यदि बिक्री को बरकरार रखा जाता है, तो समान रूप से, एसआरयूआईएल की अन्य परिसंपत्तियां हैं जो समापन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी परिसमापक के हाथों में बनी हुई हैं। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि इस मामले के तथ्यों पर, हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित समापन कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्वयं दिनांक 1 और 2 के आदेशों द्वारा अस्थायी परिसमापक को निर्देश दिया है कि वह एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित धारा 7 की कार्यवाही में एस. आर. यू. आई. एल. के रिकॉर्ड और संपत्तियों को आई. आर. पी. को सौंप दे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि आई. आर. पी. अभी तक अस्थायी परिसमापक को उसके खर्चों के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

27. डॉ. सिंघवी और श्री रंजीत कुमार ने जोरदार तर्क दिया है।

कि एस. आर. ई. आई. ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में समापन कार्यवाही को दबा दिया है और लंबित समापन कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण आवेदन को स्थानांतरित करने से बचने के लिए केवल एक छल के रूप में धारा 7 का सहारा लिया है। ये तर्क करते हैं

अपीलार्थी का लाभ इस साधारण कारण से नहीं उठाया जा सकता है कि धारा 7 एक स्वतंत्र कार्यवाही है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका परीक्षण अपने गुण-दोष पर किया जाना है। अतः समापन कार्यवाही के किसी भी "दमन" का आई. बी. सी. में निहित प्रावधानों के आधार पर धारा 7 याचिका पर निर्णय लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समान रूप से, यह ए. नवीनचंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड इक्विपमेंट फाइनैंस लिमिटेड [आर. एफ. नरीम]

यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी छल का इस कारण से लाभ उठाया गया है कि धारा 7 एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसे श्री सिन्हा द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है, जो तुलना की धारा 434 (1) (सी) के पांचवें प्रावधान के तहत एक विवेकाधिकार है।

धारा 7 और अन्य प्रावधानों के मापदंडों को पूरा करने के बाद एन. ओ. आई. बी. सी. के निस्संदेह अधिकार क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता है। इन सभी कारणों से, इसलिए, एपिया और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तुरंत खाली हो जाएगा।

दिव्या पांडे